ग्राम पंचायत काटली विकास खण्ड पच्छाद ज़िला सिरमौर के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017

भाग–1

1 प्रस्तावना (क):–

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि० प्र० को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत काटली विकास खण्ड पच्छाद ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया !

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मे निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:

प्रधान :–

क्रमांक	**नाम**	**अवधि**
1	श्रीमती सीता देवी	01/04/2014 से 22/01/2016 तक
2	श्रीमती मीरा	23/01/2016 से लगातार

सचिव:–

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्री बाबू राम चौहान	01.04.2014 से लगातार

परिशिष्ट–4

(ख) गंभीर अनियमितताओं का सार :– ग्राम पंचायत काटली के लेखाओं अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गंभीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्रम संख्या	**पैरा नं**	**अनियमितताओं का संक्षिप्त सार**	**राशि (लाखों में)**
1	5	रोकड़ बही व बैंक शेषों में अन्तर	0.15
2	6	खाता "ख" में अर्जित ब्याज को खाता "क" में अन्तरित न करना	0.11
3	7	गृहकर की शेष वसूली	0.29

4	8	गृहकर की वसूली गयी राशी को निधि में जमा न करना	0.05
5	9	मोबाइल टावर की स्थापना व् नवीनीकरण शुल्क की शेष वसूली	0.51
6	10	अनुदानों की राशि का उपयोग न करना	20.98
7	11	ओपचारित्तायें पूर्ण किये बिना स्टोर/स्टॉक का क्रय	-----
8	12	जे.सी.बी. चार्जीस का अनियमित भुगतान	1.45
9	13	स्टोर/स्टॉक सामग्री की प्रविष्टि न करना	7.93
10	14	प्राप्त अनुदान से अधिक व्यय की गई राशी की वसूली	0.92
11	15(ii)	मनरेगा योजना के अन्तर्गत रोकड़ बही में दर्ज राशी से Online किया गया अधिक भुगतान	4.48

भाग–II

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत काटली विकास खण्ड पच्छाद ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राकेश कुमार चौहान, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 20/09/17 से 26/09/2017 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गया तथा जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों मे समाविष्ट किया गया।

वर्ष	आय	व्यय
2014-15	10/2014	10/2014
2015-16	10/2015	04/2015
2016-17	03/2017	03/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति मे अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि० प्र० उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत, काटली, विकास खण्ड, पच्छाद, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क `₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि० प्र० शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:जी.पी.(आडिट)/पच्छाद/2017-18-9 दिनांक 26/09/2017 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत काटली से अनुरोध किया गया ।

4 वित्तीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत, काटली द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:-

i) स्व: स्त्रोत :- ग्राम पंचायत काटली के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 की स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण:-

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंत शेष
2014-15	-------	30985.00	30985.00	14433.00	16552.00
2015-16	16552.00	179579.00	196131.00	11090.00	185041.00
2016-17	185041.00	76727.80	261768.80	57862.00	203906.80

परिशिष्ट-3

नोट :- ग्राम पंचायत, काटली की स्व: स्त्रोत से प्राप्त आय-व्यय को भी सामान्य निधि खाते में ही जमा करवाया गया है तथा स्व: स्त्रोत का खाता अलग से न होने के कारण स्व: स्त्रोत का 01/04/2014 को प्रारंभिक शेष ज्ञात नहीं किया जा सका । जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार स्व: स्त्रोत की आय को पृथक से खाता खोलकर खाता "क" में रखे जाने का प्रावधान है । अतः स्व: स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय व व्यय को पृथक से खाता खोलकर उसमे आय को जमा किया जाना व उसी खाते से व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

ii) अनुदान:- ग्राम पंचायत काटली की अवधि 01/4/2014 से 31/3/2017 में अनुदानों की वितीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, तथा जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 व 2 मे भी दिया गया है ।

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंत शेष
2014-15	2524285.24	4998035.00	7522320.24	5308396.00	2213924.24
2015-16	2213924.24	3179107.00	5393031.24	4126369.18	1266662.06
2016-17	1266662.06	2757036.00	4023698.06	1925199.00	2098499.06

नोट :- (1) रोकड़ बही में मासांत/वर्षांत प्रारम्भिक व अंतिम शेष नहीं दर्शाए गए है अतः बैंक पास बुकों के दिनांक 01/04/14 के प्रारम्भिक शेष को ही वितीय स्थिति का दिनांक 01/04/14 का प्रारम्भिक शेष (opening balance) लिया गया है ।

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना :-

(क) रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था। जबकि हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य है। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है, जिसके परिणामस्वरूप रोकड़ बही (वितीय स्थिति) तथा बैंक के शेषों में दिनांक 31/03/2017 को निम्नविवरणानुसार **₹15225** का अन्तर है जिसकी जाँच की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

स्वः स्त्रोत	203906.80
अनुदान	2098499.06
वितीय स्थिति के अनुसार 31.03.2017 को शेष	2302405.86
विभिन्न बैंक खातों में 31.03.17 को जमा शेष राशि	2287180.86
31.03.17 को वितीय स्थिति और बैंक शेष में अन्तर	**15225.00**

विभिन्न बैंक खातों में 31.03.17 को जमा राशि का ब्यौरा

क्रमांक	अनुदान का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	जमा राशि
1.	सामान्य निधि	HPSCB, Sarahan	56610104098	478371.86
2.	14th FC	----do-------	56610113383	1118936.00
3.	बी.आर.जी.ऍफ़.	----do-------	56610105625	150854.00
4.	PMAGY	----do-------	56610110943	331129.00
5.	विकास कार्य	----do-------	56610104667	190923.00
6	आई.ए.वाई.	----do-------	56610104160	16068.00
7	मनरेगा	----do-------	56610104666	NIL
			विभिन्न बचत बैंक खातों में जमा कुल राशि	2286281.86
			31.03.2017 को सामान्य निधि की रोकड़ बही अनुसार हस्तगत शेष	899.00
			31.03.2017 को कुल शेष	**2287180.86**

परिशिष्ट–4

6 पंचायत के खाता "ख" में अर्जित ब्याज ₹0.11 लाख को खाता "क" हस्तांतरित न किया जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत

द्वारा खाता "ख" में जमा राशि पर अर्जित ब्याज को पंचायत निधि स्व: संसाधनों के खाता "क" में हस्तांतरित किया जाना अपेक्षित है |परन्तु अंकेक्षण के दौरान पंचायत के खातों की पड़ताल करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता "ख" में अर्जित ब्याज की `₹11320 को खाता "क" में हस्तांतरित नहीं किया गया था |उपरोक्त वर्णित ब्याज की राशि का ब्यौरा निम्न तालिका अनुसार है;

अनुदान: विकास कार्य

माह	**अर्जित ब्याज**
09/2014	2981/-
03/2015	759/-
09/2015	1630/-
03/2016	495/-
09/2016	2401/-
03/2017	3054/-
कुल ब्याज	**11320/-**

अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए खाता "ख" में अर्जित ब्याज की राशि को खाता "क" में हस्तांतरित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए |

7 गृहकर के रूप में ₹0.29 लाख की वसूली शेष:-

ग्राम पंचायत काटली के सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: जी.पी.ऑडिट/पच्छाद/काटली/2017-18-2 दिनांक 20/09/2017 के सन्दर्भ में उनके पत्र क्रमांक: जी.पी.-12/2017 दिनांक 26/09/2017 द्वारा गृहकर के बारे में जो सुचना प्रदान की गई उसके अनुसार दिनांक 31/03/2017 को गृहकर की ₹29150 निम्नतालिकानुसार वसूली हेतु शेष बताई गई ।

Year	Number of Families	Rate of house tax per year	Amount of house tax due	Total house tax due	House tax released during year	House tax outstanding at the close of year
2014-15	409	50/-	20450/-	20450	5050	15400
2015-16	404	50/-	20200/-	35600	18000	17600
2016-17	409	50/-	20450/-	38050	8900	29150
	Total		**61100/-**			

परिशिष्ट-5

क्योंकि पंचायत सचिव द्वारा ग्रहकर की वसूली से सम्बन्धित "**मांग एंव वसूली पंजी**" का संधारण नहीं किया जा रहा है ऐसे में गृह कर के सम्बन्ध में वास्तविक वसूली योग्य राशि उक्त राशि से कहीं अधिक होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता । क्यूंकि उपर वर्णित विवरण में दिनांक 1.4.2014 को आरम्भिक मांग सम्मिलित नहीं है अतः उपरोक्त अनुसार गृहकर की ₹29150 की वसूली शीघ्र अतिशीघ्र की जाए, तथा साथ ही पंचायत सचिव इस सम्बन्ध में अपने स्तर पर अभिलेख की पुनः जांच करते हुए वास्तविक वसूली योग्य राशि का आकलन करके सम्बन्धित परिवारों से उसकी वसूली करके उसे पंचायत निधि में जमा करना सुनिश्चित करे तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये । इसके अतिरिक्त भविष्य में **मांग एंव वसूली पंजी** का संधारण भी किया जाये ताकि पंचायत को देय सही राशि का तुरन्त बोध हो सके तथा पंचायत को आय की हानि न हो।

8 गृहकर की ₹0.05 लाख सामान्य निधि खाते में जमा न करने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 06.03.2017 को रसीद संख्या 171801 से 171889 द्वारा वसूली गयी गृहकर की ₹4850 अंकेक्षण अवधि तक सामान्य निधि खाते में जमा नहीं की गई थी, जोकि अनियमित है, अतः उक्त राशी को सम्बन्धित से तुरन्त वसूली कर सामान्य निधि खाते में जमा किया जाये तथा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

9 मोबाइल टावर स्थापना व् नवीनीकरण शुल्क के रूप में ₹0.51 लाख की वसूली शेष

ग्राम पंचायत काटली के सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: जी.पी.ऑडिट/पच्छाद/काटली/2017-18-2 दिनांक 20/09/2017 के सन्दर्भ में उनके पत्र क्रमांक: जी.पी.-12/2017 दिनांक 26/09/2017 द्वारा मोबाइल टावर शुल्क के बारे में जो सुचना प्रदान की गई उसके अनुसार दिनांक 31/03/2017 को उक्त शुल्क की ₹51000 निम्नतालिकानुसार वसूली हेतु शेष बताई गई ।

Period	**BSNL**		**Reliance Company**		**Remarks**
	Install. fees	**Renewal Fees**	**Install. fees**	**Renewal Fees**	**Rate of Renewal fees per year**
2008 to 2014	4000/-	14000/-	4000/-	14000/-	@ 2000/- yr.
2015 to 2017	-------	7500/-	--------	7500/-	@ 2500/- yr
Total	**4000/-**	**21500/-**	**4000/-**	**21500/-**	**51000/-**

परिशिष्ट-5

क्योंकि पंचायत सचिव द्वारा मोबाइल टावर शुल्क की वसूली से सम्बन्धित "**मांग एंव वसूली पंजी**" का संधारण नहीं किया जा रहा है ऐसे में उक्त शुल्क के सम्बन्ध

में वास्तविक वसूली योग्य राशि उक्त राशि से कहीं अधिक होने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता । अतः उपरोक्त अनुसार गृहकर की ₹51000 की वसूली शीघ्र अतिशीघ्र की जाए, तथा साथ ही पंचायत सचिव इस सम्बन्ध में अपने स्तर पर अभिलेख की पुनः जांच करके नियमानुसार वास्तविक वसूली योग्य राशि का आकलन करके उसकी वसूली करके उसे पंचायत निधि में जमा करना सुनिश्चित करे तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये । इसके अतिरिक्त भविष्य में **मांग एंवम वसूली पंजी** का संधारण भी किया जाये ताकि पंचायत को देय सही राशि का तुरन्त बोध हो सके तथा पंचायत को आय की हानि न हो।

10 अनुदानों की ₹20.98 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा उपलब्ध कारवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31/03/2017 तक अनुदानों से प्राप्त **₹20,98,499 (परिशिष्ट–2)** की राशि उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत को विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित रहना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान की उपरोक्त राशि के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त कर उक्त राशि को व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का सम्बन्धित संस्था को प्रत्यार्पण किया जाये।

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टोर/ स्टॉक का क्रय :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है जिसके अनुसार ₹1000 से अधिक के व ₹50,000 से कम राशि के क्रय हेतु कोटेशन आमंत्रित किया जाना तथा ₹50,000 से अधिक राशि के क्रय हेतु निविदा आमंत्रित किए जाने का प्रावधान है ताकि ग्राम पंचायत को प्रतियोगी मूल्यों का लाभ प्राप्त हो सके |जबकि नियम 67 (3) (a) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा नामित दो वार्ड मेम्बर्स तथा सचिव को सम्मिलित करके एक उप समिति का गठन करके समिति द्वारा निविदा/कोटेशन्स आमंत्रित करने के उपरान्त ही क्रय किए जाने का प्रावधान है | परन्तु ग्राम पंचायत ने बिना उप समिति का गठन किये और नियमानुसार कोटेशन/निविदाएं आमंत्रित किए बिना ही स्टोर/स्टॉक की सामग्री का क्रय किया

है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तीजनक है। अतः उक्त व्यय/क्रय को नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी कि स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक व्यय/क्रय नियमानुसार तरीके से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये

12 जे.सी.बी चार्जीस का ₹1.45 लाख का अनियमित भुगतान:-

ग्राम पंचायत काटली के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु जे.सी.बी को प्रति घंटे के आधार पर किराये पर लेकर व्यय के अंकेक्षण हेतु चयनित माह में ₹144750 का भुगतान बिना निविदाएं आमन्त्रित किये बिना ही किया गया है, जबकि पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 67 (5)(a) व (b) के अनुसार ₹1000 से अधिक की राशि के भुगतान/क्रय के लिये कोटेशन्स/निविदाएँ आमंत्रित की जानी अनिवार्य है । जबकि नियम 67(3) के अनुसार उक्त कार्यो हेतु कोटेशन्स/निविदाएँ आमंत्रित करने के लिए एक उप समिति का गठन किया जाना अनिवार्य था, जिनकी अनुपालना किये बिना ही पंचायत द्वारा जे.सी.बी को विभिन्न कार्यों हेतु उपयोग में लाया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए| इसके अतिरिक्त जे.सी.बी द्वारा करवाए गए कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं सम्बन्धित कनिष्ट अभियंता/तकनीकी सहायक द्वारा अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जिनकी अनुपस्तिथि में जे.सी.बी चार्जिस का लाखों रूपये के भुगतान की जांच अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी।सम्बन्धित अभिलेख को अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा जे.सी.बी द्वारा करवाए गये कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए| ताकि भुगतान की गई राशि कि नियमानुसार जांच की जा सके|

उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न ठेकदारों को जे.सी.बी चार्जिस का भुगतान करते समय कोई भी संवैधानिक कटौतियां नहीं की गई है जबकि नियमानुसार सम्बंधित ठेकेदारों से निम्नवर्णित संवैधानिक कटौतियां की जानी वांच्छित थी |

(क) आयकर 2%
(ख) सेल्स टैक्स 3%
(ग) प्रतिभूति राशि 10%
(घ) लेबर सेस 1%

अतः उपरोक्त कटोतियों को सम्बंधित बिल से न किये जाने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार सभी संवैधानिक कटौतियां करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए|

जे.सी.बी चार्जीस का ₹144750के अनियमित भुगतान का विवरण

Sr.No.	Name of Firm	Bill No./Date	JCB hrs.	Rate (hr.)	Amount (₹)
		GIA- (PMAGY)			
1.	Jaspal Singh	530/ 10.04.15	20hrs	750/-	15000/-
2.	------do----	531/ 25.03.15	13hrs	750/-	9750/-
		GIA- (BRGF)			
3.	------do----	532/ 12.04.15	62hrs	750/-	46500/-
4.	------do----	533/ 15.04.15	36hrs	750/-	27000/-
5.	------do----	534/ 19.04.15	62hrs	750/-	46500/-
				कुल अदायगी	**144750/-**

13 **क्रय की गई स्टोर/स्टॉक व निर्माण सामग्री की सम्बन्धित अभिलेख में प्रविष्टि किये बिना उसका उपयोग करना:-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त/क्रय की गई मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत काटली के अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु क्रय की गई विभिन्न मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ निर्धारित स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं की जा रही है जोकि नियमनुसार अपेक्षित थी। अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई कुछ मदें जिन्हें स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था का ब्यौरा निम्न तालिका में दिया गया है।

स्टोर/स्टॉक की सामग्री का विवरण

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना

क्रमांक	विक्रेता का नाम	बिल संख्या/दिनांक	क्रय की गई सामग्री	राशि (₹)	रोकड़ पृष्ठ
1.	Kamal Goods Carrier	924/ 03.10.14	200 फुट रेत@ 45/-	9000/-	19
2.	Sanjay Store Sarahan	1252/ 03.10.14	4000 Tiles @ 19/-	76000/-	19

3.	SURYA, Sirmour	SS-122/ 02.09.14	22 street lights	479600/-	19
4.	Kamal Goods Carrier	1190/ 15.10.14	200 फुट रेत@ 39/- 200 फुट रोड़ी@ 45/-	7800/- 9000/-	20
5.	-----do------	1192/ 15.10.14	200 फुट रेत@ 39/- 200 फुट रोड़ी@ 45/-	7800/- 9000/-	20
6.	Sanjay Store Sarahan	741/ 15.07.16	Misc Steel items	14736/-	60
7	-------do------	1923/ 15.07.16	Tiles and steel	3790/-	60
		विकास कार्य			
8	HPSCS, Ltd	CSH-10128/ 09.12.14	40 bags Cement	9280/-	8
9	Sanjay Store Sarahan	919/ Nil	5 quintal steel @ 3500/-	18375/-	25
10	------do------	1271/ Nil	Paint material	1800/-	25
11	Kamal Goods	2356/ 02.12.16	3000 Bricks @ 7/-	21000/-	25
		बी. आर. जी.एँफ़.			
12	Poly Cast Spun Pipes	1901/ 30.09.14	8 pipes @ 8000/-+ vat	64000/- 3360/-	46
13	------d0------	1902/ 07.10.14	7 pipes @ 8000/-+ vat	56000/- 2940/-	46
		कुल राशि		**793481/-**	

अतः क्रय की गई मदों की स्टॉक प्रविष्टियों को सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा प्रत्येक मद की स्टॉक प्रविष्टियाँ खपत विवरण सहित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों का रख-रखाव नियमानुसार किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए ।

14 प्राप्त अनुदान से अधिक व्यय की गई ₹0.92 लाख की वसूली बारे:-

ग्राम पंचायत, काटली के सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: जी.पी.ऑडिट/पच्छाद/काटली/2017-18-4 दिनांक 21/09/2017 के सन्दर्भ में उनके पत्र क्रमांक: जी.पी.-14/2017 दिनांक 26/09/2017 द्वारा अनुदानों से प्राप्त राशि से अधिक व्यय के बारे में जो सुचना प्रदान की गई उसके अनुसार दिनांक 31/03/2017 तक निम्नतालिकानुसार प्राप्त अनुदान की राशि से ₹92389 का अधिक व्यय किया दर्शाया गया है ।

प्राप्त अनुदान से अधिक व्यय की गई राशी का ब्यौरा

क्रमांक	अनुदान	कार्य का नाम	स्वीकृत राशी	प्राप्त अनुदान	31.03.17 तक खर्च राशी	प्राप्त राशी से अधिक व्यय
A	B	C	D	E	F	G(F-E)
1.	PMAGY	C/O Pucca Path, Shamlati	300000/-	264362/-	285422/-	21060/-
2.	---do---	C/O Pukki Galli Bambyar-badyaar	500000/-	387000/-	410000/-	23000/-
3.	NREGA	C/O R.W.H.T. Vinod Kumar, Chakli	50000/-	50000/-	55869/-	5869/-
4.	---do---	C/O Link Road Dasana	50000/-	50000/-	89882/-	39882/-
5.	---do---	C/O Goat Shed Kailash Dutt,Rajalag	50000/-	50000/-	50801/-	801/-
6.	---do---	C/O Plantation Som Dutt,Jhamradi.	50000/-	50000/-	51777/-	1777/-
		प्राप्त राशी से अधिक व्यय		**851362/-**	**943751/-**	**92389/-**

परिशिष्ट–6 (4)

(1) उपरोक्त अधिक व्यय की राशि में से क्रमांक 4 से 6 पर वर्णित कार्यों पर उनके लिए स्वीकृत ₹2,00,000 से **₹48329** अधिक खर्च किये गए है जोकि अनियमित है अतः स्वीकृत राशि से अधिक व्यय की गई राशि को उचित स्त्रोत से वसूली कर सम्बन्धित खाते में जमा करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

(2) इसके अतिरिक्त क्रमांक 1 व् 2 पर वर्णित कार्यों पर प्राप्त अनुदान से **₹44060** का जो अधिक व्यय किया गया है यद्यपि खर्च की गई राशि उक्त कार्यों हेतु स्वीकृत की गई राशि से अधिक नहीं है परन्तु उक्त कार्यों हेतु स्वीकृत पूरी/बकाया राशी 31.03.2017 तक (Funding Agency) से प्राप्त नहीं हुई थी अतः या तो अनुदान की बकाया राशि (Funding Agency) से प्राप्त की जाए, अन्यथा प्राप्त अनुदान से अधिक व्यय की गई राशि को उचित स्त्रोत से वसूली कर सम्बन्धित खाते में जमा करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

15 मनरेगा योजना के अंतर्गत खर्च राशि **से सम्बन्धित अनियमितताएँ:–**

(i) वितीय वर्ष 2016-17 की रोकड़ बही संधारित न करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वितीय वर्ष 2016–17 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान व् खर्च की गयी राशि को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया है, जबकि उक्त अवधि में वितीय वर्ष के दौरान मनरेगा की Online Financial Statements के अनुसार विभिन्न विकास कार्यो पर खर्च **₹27,70,657** (₹22,28,657 मजदूरी तथा ₹5,42,000 निर्माण सामग्री) का भुगतान किया गया है। उक्त प्राप्ति व् भुगतान रोकड़ दर्ज न होने के कारण न तो उन्हें वितीय

स्थिति में शामिल किया जा सका और न ही सम्बन्धित अभिलेख के साथ उसका अंकेक्षण किया जा सका। अतः उक्त अवधि की रोकड़ बही को संधारित न करने बारे ओचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त अभिलेख को पूर्णतः तैयार करके आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाये, तथा भविष्य में नियमानुसार अभिलेख को तैयार करना भी सुनिश्चित किया जाए।

(ii) बिल/वाउचर के अनुसार रोकड़ बही में दर्ज खर्च की राशि **से वर्ष 2014-15 व् 2015-16 के दौरान ₹4.48 लाख का Online अधिक भुगतान:-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मनरेगा योजना के अंतर्गत बिल/वाउचर के अनुसार रोकड़ बही में दर्ज की गई व्यय/भुगतान की राशि से (Online Financial Statements) के अनुसार वितीय वर्ष 2014-15 में ₹4,20,510. तथा वर्ष 2015-16 में ₹.27,166 का अधिक भुगतान किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा उक्त अधिक भुगतान की राशि को उचित स्त्रोत से वसूलकर पंचायत निधि में जमा करना सुनिश्चित किया जाये। उक्त अधिक भुगतान का ब्यौरा निम्नतालिकानुसार है;

वितीय वर्ष	**रोकड़ बही अनुसार ऑन लाइन किया गया भुगतान**	**फाइनेंसियल स्टेटमेंट्स के अनुसार ऑन लाइन किया गया भुगतान**	**अधिक भुगतान (₹)**
1	2	3	4{3-2}
2014-15	1520854/-	1941364/-	420510/-
2015-16	780180/-	807346/-	27166/-
		कुल अधिक भुगतान	**447676/-**

16 निर्माण सुरक्षा दीवार सामुदायिक केंद्र काटली में खर्च राशि **में अनियमितता बारे:-**

योजना का नाम:- मनरेगा

विकास कार्य का नाम:- निर्माण कार्य सुरक्षा दीवार सामुदायिक केंद्र काटली

स्वीकृत राशी:- ₹100000

वास्तविक खर्च:- ₹97638

कार्य की मुल्यांकन राशी:- ₹100004

कार्य का प्राक्कलन:- अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया

माप पुस्तिका संख्या:- 724

कार्य पूर्ण करने की तिथि:- माप पुस्तिका में नहीं दर्शाई गई थी ।

(i) उक्त कार्य में माप पुस्तिका संख्या 724 पृष्ठ संख्या 8-9 के अनुसार उक्त कार्य का वास्तविक खर्चा निकालते समय रेत की 112 cft मात्रा ₹45. cft की दर से ₹5040 लागत जोड़ी गई है जबकि उक्त कार्य के बिल/वाउचर्स के अंकेक्षण के दौरान पाया गया की उक्त कार्य हेतु रेत की 160 cft मात्रा ₹45.cft की दर से ₹7200 की खरीद कर **₹2160** का

अधिक भुगतान किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा अधिक व्यय की गयी राशि को सम्बन्धित से वसूलकर सम्बन्धित खाते मे जमा कर अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

(ii) उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त कार्य में सीमेंट, रोड़ी व् मजदूरी से सम्बन्धित बिल/वाउचर्स /मस्टर रोल्स उक्त कार्य में दर्शाए गए वास्तविक खर्च की राशि से ₹45579 कम राशि के प्रस्तुत किये गए जिस बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा बिना बिल/वाउचर्स के किये/दर्शाए गए भुगतान की राशि को सम्बन्धित से वसूलकर सम्बन्धित कोष मे जमा कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। ब्यौरा निम्नानुसार है:

Actual cost added as per Measurement Book No.724 page No.8-9		Bills Shown put up	Bills Less Shown.
Cement 80 bags @ 230/-	18400/-	----------	18400/-
Sand 500 cft. @ 40/- cft.	20000/-	17200/-	2800/-
Labour	56564/-	32185/-	24379/-
Total			**45579/-**

(iii) उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में उक्त कार्य पर किया गया खर्च प्राक्कलन में दर्शाए गए माप/मात्रा के अनुसार हुआ है या नहीं इस बारे जाँच/मिलान नहीं की जा सकी ।

(iv) निर्माण कार्य में उपयोग की गयी सामग्री से सम्बन्धित **निर्माण कार्य सामग्री भण्डारण रजिस्टर** भी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में उक्त कार्य हेतु कितनी निर्माण सामग्री जारी की गई तथा कितनी सामग्री शेष बची इस बात का भी सही–सही बोध नहीं हो सका ।

अतः उक्त अभिलेख तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा भविष्य में वांछित अभिलेख नियमानुसार तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

17 बजट प्राक्कलन तैयार न करना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 मे पंचायत के आय व्यय प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा मे पारित करवाना अपेक्षित था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुऐ भविष्य मे नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

18 सावधि जमा में राशि का निवेश न करना

ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं की गई थी, जबकि

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार जिस राशि का उपयोग अगले 6 माह तक नहीं किया जाना हो तो उस राशि को पंचायत में इस बारे प्रस्ताव पारित करके सावधि जमा में निवेश कर पंचायत के लिए ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय का सृजन किया जा सकता है | अतः यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में उपरोक्त नियम में दिए गये निर्देशों की अनुपालना करते हुए अधिशेष (Surplus Funds) राशि को सुनियोजित तरीके से निवेश कर ग्राम पंचायत निधि के लिए ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय का सृजन किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

19 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन/अभिलेख इत्यादि का सही तरीके से रख-रखाव न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 व 95 की अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु अपेक्षित प्राक्कलन, प्रशासनिक अनुमोदन, व तकनीकी स्वीकृति, कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र व उपयोगिता प्रमाण-पत्र इत्यादि से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किये गये । जिसके अभाव में निर्माण कार्यों पर किये गये व्यय की माप पुस्तिकाओं के अनुसार जाँच नहीं की जा सकी । अतः उक्त अभिलेखों को प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा साथ ही उन्हें आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि पंचायत द्वारा निष्पादित करवाए जा रहे लाखों रूपये के निर्माण कार्यों की पूर्ण जाँच सम्भव/सुनिश्चित हो सके ।

20 रोकड़ बही तथा खाताबही का उचित तरीके से संधारण नहीं किया जाना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 7 व 29 के अंतर्गत पंचायत द्वारा संधारित की गई **रोकड़ बहियां** तथा **खाताबहियों** का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है। रोकड़ बही केवल नाम की रोकड़ बही है क्योकि इसका संधारण रोजनामचे की तरह किया जा रहा है अर्थात इसमें ना तो कोई इति शेष है और न ही कोई अंतिम शेष। ऐसी स्थिति में बैंक से किए जा रहे लेन देन पर कोई नियंत्रण नही रह जाता तथा रोकड़ बही बैंक में पंचायत के खाते में मौजूद शेष राशि के बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। इसी प्रकार खाता बही में भी न तो कोई इति शेष है और न ही कोई अंतिम शेष। ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही आय-व्यय तालिका तथा सन्तुलनपत्र की मदें विशवसनीय नहीं रह जाती तथा इनमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

21 रसीद बुकों के उपयोग से सम्बन्धित अनियमितता बारे:-

आय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि रसीद बुक्स पर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (4) व (5) के अनुसार पंचायत सचिव तथा प्रधान द्वारा रसीद बुकों पर गणना से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अंकित नहीं किया गया था, तथा अधिकतर रसीदें बिना तिथि तथा जारीकर्ता के हस्ताक्षर के पाई गई, उन पर की गई कटिंग्स तथा रद्द करने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन भी नहीं किया जा रहा है तथा कई रसीद बुकों को एक साथ उपयोग में लाया गया है जैसा की अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: जी.पी.ऑडिट/पच्छाद/काटली/2017-18-4 दिनांक 21/09/2017 के सन्दर्भ सचिव ग्राम पंचायत काटली के पत्र क्रमांक:जी.पी.-14/2017 दिनांक 26/09/2017 के क्रम संख्या 2 द्वारा स्वतः ही स्पष्ट है। अतः नियमानुसार अभिलेख का रख रखाव न करने बारे स्थिथि स्पष्ट की जाये तथा भविष्य में अभिलेख का रख रखाव नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए। {परिशिष्ट-6 (2)}

22 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रखरखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रखरखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

{परिशिष्ट-6 (3)}

क्रमांक	रजिस्टर व अभिलेख का नाम
1.	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर ।
2.	रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक में मिलान सारणी ।
3.	चैक जारी करने का रजिस्टर ।
4.	चल एवं अचल संपत्ति का रजिस्टर ।
5.	आकस्मिक व्यय रजिस्टर ।
6.	चैक प्राप्ति रजिस्टर ।
7.	अग्रिमों का रजिस्टर ।
8.	रसीद बुकों का रजिस्टर ।
9.	मानदेय रजिस्टर ।
10.	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर ।

23 प्रत्यक्ष सत्यापन

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भंडार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भंडार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अम्ल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये ।

24 लघु आपत्ति विवरणिका

i) ग्राम पंचायत निधि से किये जा रहे भुगतानों को मात्र ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा ही सत्यापित किया जा रहा है जबकि पंचायती राज वित्त नियम, 2002 के नियम 49(1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक की ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों एवं अंको दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्त: हस्ताक्षरित न किया गया हो । अतः भविष्य में पंचायत निधि से किये जाने वाले सभी भुगतानों को प्रधान व सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

ii) पंचायती राज वित्त नियम, 2002 के नियम 7 के अनुसार प्रत्येक बिल/वाउचर पर ग्राम सभा द्वारा उस व्यय को पारित किये जाने से सम्बंधित प्रस्ताव संख्या व दिनांक को अंकित किया जाना अनिवार्य है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किये जा रहे किसी भी बिल/वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक को अंकित नहीं किया गया है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में उक्त नियम का पालन किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

25 निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की नितान्त आवश्यकता है ।

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(x)10/2017 खण्ड–1–989–992 दिनांक12.02.2018
शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, सिरमौर, जिला सिरमौर हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत काटली़, विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881